भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2231
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

2231. श्री सैयद इम्तियाज जलीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक युवा समुदाय के 5 करोड़ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी छात्रवृत्ति देने के लिए तय मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिज कोर्स प्रदान कर उन छात्राओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्होंने मदरसा और मुख्यधारा के विद्यालयों से शिक्षा बीच में छोड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मदरसा शिक्षकों को मदरसों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए क्या योजना शुरू की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित छात्रों के लिए 3.18 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से बालिकाएं लाभार्थियों के 50% से अधिक बैठती हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 5 करोड़ छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। इसमें 50% से अधिक छात्राएं शामिल होंगी। ये तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और 2015 से छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए और दोहरेपन को दूर करते हुए तथा हेरा–फेरी रोकते हुए पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

	अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या	मैट्रिक–पूर्व	मैट्रिकोत्तर	मेरिट–सह–साधन	कुल लाभार्थी	अल्पसंख्यक जनसंख्या में से आनुपातिक लाभार्थी
		लाभार्थी (संख्या)	लाभार्थी (संख्या)	लाभार्थी (संख्या)		
मुस्लिम	172245158	20974526	2645897	451864	**24072287**	13.98
ईसाई	27819588	3193073	396388	95175	**3684636**	13.24
सिक्ख	20833116	2130441	344440	42286	**2517167**	12.08
बौद्ध	8442972	759126	20464	2549	**782139**	9.26
जैन	4451753	282410	76243	20791	**379444**	8.52
पारसी	57264	3283	457	53	**3793**	6.62
कुल	**233849851**	27342859	3483889	612718	**31439466**	

(ग): वर्ष 2017–18 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति की अपनी योजना में कक्षा 11 और 12 में पढ़ रही तथा उन बालिकाओं, जिन्होंने मान्यता प्राप्त मदरसों से इसी स्तर की परीक्षा पास की है, के अलावा सभी केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों से आर्थिक रूप से कमजोर उन अल्पसंख्यक छात्राओं को भी छात्रवृत्तियां देने का निर्णय लिया है जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय नई मंजिल की प्रायोगिक परियोजना के अधीन मदरसा छात्रों के साथ–साथ स्कूल ड्रापआउट्स के लिए ब्रिज कोर्स चलाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू), अलीगढ़ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ब्रिज कोर्स मदरसा छात्रों/ड्रापआउट्स को शिक्षा की मुख्यधारा में बने रहने के लिए उनकी सहायता के लिए प्रदान किया जा रहा है। ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद ये छात्र विश्वविद्यालयों के स्नातक स्तर पर विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं।

(घ): मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा तथा मदरसा स्कूल प्रणाली के बीच के अंतर को कम करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अम्ब्रेला योजना (एसपीईएमएम) कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें दो योजनाएं नामतः मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरंचना विकास (आईडीएमआई) शामिल हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं तथा ऐच्छिक स्वरूप की हैं।

एसपीक्यूईएम का उद्देश्य मदरसों और मकतबों जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देना; इन संस्थानों के छात्रों को विशेषकर माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जैसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना; सहायता लेने वाले राज्य मदरसा बोर्डों को सुदृढ़ बनाना तथा योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक विषय के शिक्षण हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों (आरंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूली अवसंरचना का संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण करते हुए अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुसाध्य बनाना तथा लड़कियों, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना है।

******